

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर


क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1149)/2017/ 528

दिनांक : 24-7-17

आदेश

श्री मकबुल अहमद अंसारी, लैब टेक्नीशियन, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बेंगू (चित्तौडगढ़), जिनकी जन्म तिथि 01.12.1957 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक-30.11.2017 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है इनके विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1149)/2017/ 528

दिनांक : 24-7-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ़।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेंगू (चित्तौडगढ़)।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काटुन्दा (चित्तौडगढ़)।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. श्री मकबुल अहमद अंसारी लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि ऑडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बंकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।